GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. *183

TO BE ANSWERED ON THE 3RD AUGUST, 2022/ SRAVANA 12, 1944 (SAKA)

PERSONS ARRESTED AND CONVICTED UNDER UAPA

***183. SHRI SANDOSH KUMAR P:**

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of people arrested under Unlawful Activities Prevention Act (UAPA) during the last three years, State-wise;

(b) the total number of people convicted under the UAPA in each State during the last three years; and

(c) the number of people arrested under UAPA in each State, age-wise and religion-wise?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(SHRI NITYANAND RAI)

(a) to (c): A statement is laid on the Table of the House.

R.S.S.Q.NO.*183 FOR 03.08.2022

STATEMENT IN REPLY TO RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO.183 FOR 3rd AUGUST, 2022

(a) & (b): The National Crime Records Bureau (NCRB) compiles the data on crime as reported to it by States and Union Territories and publishes the same in its annual publication 'Crime in India'. The latest published report is of the year 2020. As per the published Report, the State-wise number of persons arrested and persons convicted under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (UAPA) during 2018 to 2020 is as given at Annexure-I.

(c): The age-wise number of persons arrested under UAPA in each State during 2018 to 2020 is at Annexure-II. Religion-wise data regarding number of people arrested under UAPA is not maintained by the NCRB.

******

ANNEXURE-I
R.S.S.Q.NO. *183 FOR 03.08.2022

State/UT-wise number of Persons Arrested(PAR) and Persons Convicted(PCV) under the UAPA during 2018-2020

SL	State/UT	2018		2019		2020	
		PAR	PCV	PAR	PCV	PAR	PCV
1	Andhra Pradesh	8	0	5	0	4	0
2	Arunachal Pradesh	10	0	40	0	3	0
3	Assam	170	0	112	0	49	0
4	Bihar	59	0	35	0	39	0
5	Chhattisgarh	4	0	32	0	27	0
6	Goa	0	0	0	0	0	0
7	Gujarat	0	0	1	0	0	0
8	Haryana	0	0	0	0	1	0
9	Himachal Pradesh	0	0	0	0	0	0
10	Jharkhand	97	21	202	17	69	3
11	Karnataka	0	0	6	0	2	0
12	Kerala	6	0	25	0	24	0
13	Madhya Pradesh	13	0	4	0	0	0
14	Maharashtra	0	0	0	0	7	0
15	Manipur	332	0	386	0	225	0
16	Meghalaya	6	0	0	0	2	0
17	Mizoram	0	0	0	0	0	0
18	Nagaland	10	1	18	0	7	0
19	Odisha	0	0	5	0	0	0
20	Punjab	27	0	30	0	44	0
21	Rajasthan	0	0	0	0	0	0
22	Sikkim	0	0	0	0	0	0
23	Tamil Nadu	15	0	308	0	92	21
24	Telangana	0	0	5	0	0	0
25	Tripura	0	0	0	0	2	0
26	Uttar Pradesh	479	12	498	17	361	54
27	Uttarakhand	0	0	0	0	0	0
28	West Bengal	0	0	0	0	5	0
	TOTAL STATE(S)	**1236**	**34**	**1712**	**34**	**963**	**78**
29	A&N Islands	0	0	0	0	0	0
30	Chandigarh	0	0	0	0	0	0
31	D&N Haveli and Daman & Diu+	0	0	0	0	0	0
32	Delhi	8	1	9	0	12	0
33	Jammu & Kashmir*	177	0	227	0	346	2
34	Ladakh	-	-	-	-	0	0
35	Lakshadweep	0	0	0	0	0	0
36	Puducherry	0	0	0	0	0	0
	TOTAL UT(S)	**185**	**1**	**236**	**0**	**358**	**2**
	TOTAL (ALL INDIA)	**1421**	**35**	**1948**	**34**	**1321**	**80**

Source: Crime in India

Note: '+' Combined data of erstwhile D&N Haveli UT and Daman & Diu UT during 2018-19
*' Data of erstwhile Jammu & Kashmir State including Ladakh during 2018-19

ANNEXURE-II/1
R.S.S.Q.NO. *183 FOR 03.08.2022

State/UT-Wise and Age-wise Persons Arrested under UAPA during 2018-2020

2018						
SL	State/UT	Upto 18 Years	18-30 Years	30-45 Years	45-60 Years	above 60 Years
		Total	Total	Total	Total	Total
1	Andhra Pradesh	0	0	8	0	0
2	Arunachal Pradesh	0	6	3	1	0
3	Assam	0	71	80	19	0
4	Bihar	0	19	40	0	0
5	Chhattisgarh	0	1	3	0	0
6	Goa	0	0	0	0	0
7	Gujarat	0	0	0	0	0
8	Haryana	0	0	0	0	0
9	Himachal Pradesh	0	0	0	0	0
10	Jharkhand	0	50	38	9	0
11	Karnataka	0	0	0	0	0
12	Kerala	0	0	6	0	0
13	Madhya Pradesh	0	9	4	0	0
14	Maharashtra	0	0	0	0	0
15	Manipur	2	167	120	43	0
16	Meghalaya	0	0	6	0	0
17	Mizoram	0	0	0	0	0
18	Nagaland	0	1	7	1	1
19	Odisha	0	0	0	0	0
20	Punjab	0	0	21	6	0
21	Rajasthan	0	0	0	0	0
22	Sikkim	0	0	0	0	0
23	Tamil Nadu	0	0	11	4	0
24	Telangana	0	0	0	0	0
25	Tripura	0	0	0	0	0
26	Uttar Pradesh	0	340	119	20	0
27	Uttarakhand	0	0	0	0	0
28	West Bengal	0	0	0	0	0
	TOTAL STATE(S)	**2**	**664**	**466**	**103**	**1**
29	A&N Islands	0	0	0	0	0
30	Chandigarh	0	0	0	0	0
31	D&N Haveli and Daman & Diu+	0	0	0	0	0
32	Delhi	0	0	5	3	0
33	Jammu & Kashmir*	0	89	74	14	0
34	Ladakh	-	-	-	-	-
35	Lakshadweep	0	0	0	0	0
36	Puducherry	0	0	0	0	0
	TOTAL UT(S)	**0**	**89**	**79**	**17**	**0**
	TOTAL (ALL INDIA)	**2**	**753**	**545**	**120**	**1**
Source: Crime in India						
Note : '+' Combined data of erstwhile D&N Haveli UT and Daman & Diu UT during 2018						
*' Data of erstwhile Jammu & Kashmir State including Ladakh during 2018						

ANNEXURE-II/2
R.S.S.Q.NO. *183 FOR 03.08.2022

State/UT-Wise and Age-wise Persons Arrested under UAPA during 2018-2020

2019						
SL	State/UT	Upto 18 Years	18-30 Years	30-45 Years	45-60 Years	above 60 Years
		Total	Total	Total	Total	Total
1	Andhra Pradesh	0	5	0	0	0
2	Arunachal Pradesh	1	13	24	2	0
3	Assam	2	32	71	7	0
4	Bihar	0	20	13	2	0
5	Chhattisgarh	0	2	21	9	0
6	Goa	0	0	0	0	0
7	Gujarat	0	0	1	0	0
8	Haryana	0	0	0	0	0
9	Himachal Pradesh	0	0	0	0	0
10	Jharkhand	0	133	69	0	0
11	Karnataka	0	3	1	2	0
12	Kerala	0	2	19	4	0
13	Madhya Pradesh	1	3	0	0	0
14	Maharashtra	0	0	0	0	0
15	Manipur	0	217	156	13	0
16	Meghalaya	0	0	0	0	0
17	Mizoram	0	0	0	0	0
18	Nagaland	0	10	5	0	3
19	Odisha	0	0	1	4	0
20	Punjab	0	15	15	0	0
21	Rajasthan	0	0	0	0	0
22	Sikkim	0	0	0	0	0
23	Tamil Nadu	2	134	126	46	0
24	Telangana	0	2	2	1	0
25	Tripura	0	0	0	0	0
26	Uttar Pradesh	0	386	112	0	0
27	Uttarakhand	0	0	0	0	0
28	West Bengal	0	0	0	0	0
	TOTAL STATE(S)	**6**	**977**	**636**	**90**	**3**
29	A&N Islands	0	0	0	0	0
30	Chandigarh	0	0	0	0	0
31	D&N Haveli and Daman & Diu+	0	0	0	0	0
32	Delhi	0	2	6	1	0
33	Jammu & Kashmir*	0	111	93	21	2
34	Ladakh	-	-	-	-	-
35	Lakshadweep	0	0	0	0	0
36	Puducherry	0	0	0	0	0
	TOTAL UT(S)	**0**	**113**	**99**	**22**	**2**
	TOTAL (ALL INDIA)	**6**	**1090**	**735**	**112**	**5**
Source: Crime in India						
Note : '+' Combined data of erstwhile D&N Haveli UT and Daman & Diu UT during 2019						
*' Data of erstwhile Jammu & Kashmir State including Ladakh during 2019						

ANNEXURE-II/3
R.S.S.Q.NO. *183 FOR 03.08.2022

State/UT-Wise and Age-wise Persons Arrested under UAPA during 2018-2020

2020						
SL	State/UT	Upto 18 Years	18-30 Years	30-45 Years	45-60 Years	above 60 Years
		Total	Total	Total	Total	Total
1	Andhra Pradesh	0	0	2	2	0
2	Arunachal Pradesh	0	0	3	0	0
3	Assam	1	16	25	7	0
4	Bihar	0	30	9	0	0
5	Chhattisgarh	0	12	11	4	0
6	Goa	0	0	0	0	0
7	Gujarat	0	0	0	0	0
8	Haryana	0	1	0	0	0
9	Himachal Pradesh	0	0	0	0	0
10	Jharkhand	0	35	30	4	0
11	Karnataka	0	1	1	0	0
12	Kerala	0	3	9	9	3
13	Madhya Pradesh	0	0	0	0	0
14	Maharashtra	0	0	5	2	0
15	Manipur	1	112	90	21	1
16	Meghalaya	0	0	0	2	0
17	Mizoram	0	0	0	0	0
18	Nagaland	0	5	2	0	0
19	Odisha	0	0	0	0	0
20	Punjab	1	21	21	1	0
21	Rajasthan	0	0	0	0	0
22	Sikkim	0	0	0	0	0
23	Tamil Nadu	0	33	47	12	0
24	Telangana	0	0	0	0	0
25	Tripura	0	0	2	0	0
26	Uttar Pradesh	0	205	156	0	0
27	Uttarakhand	0	0	0	0	0
28	West Bengal	0	2	3	0	0
	TOTAL STATE(S)	**3**	**476**	**416**	**64**	**4**
29	A&N Islands	0	0	0	0	0
30	Chandigarh	0	0	0	0	0
31	D&N Haveli and Daman & Diu+	0	0	0	0	0
32	Delhi	0	5	7	0	0
33	Jammu & Kashmir*	2	164	147	33	0
34	Ladakh	0	0	0	0	0
35	Lakshadweep	0	0	0	0	0
36	Puducherry	0	0	0	0	0
	TOTAL UT(S)	**2**	**169**	**154**	**33**	**0**
	TOTAL (ALL INDIA)	**5**	**645**	**570**	**97**	**4**
Source: Crime in India						

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *183

दिनांक 03 अगस्त, 2022 / 12 श्रावण, 1944 (शक) को उत्तर के लिए

यू ए पी ए के अधीन गिरफ्तार किए गए और दोषी ठहराए गए लोग

***183 श्री संदोष कुमार पीः**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) के अधीन राज्य-वार कितने लोग गिरफ्तार किए गए;
(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में यूएपीए के अधीन दोषसिद्ध लोगों की कुल संख्या कितनी है; और
(ग) प्रत्येक राज्य में यूएपीए के अधीन गिरफ्तार किए गए लोगों की आयु-वार और धर्म-वार संख्या कितनी है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है|

"यू ए पी ए के अधीन गिरफ्तार किये गए और दोषी ठहराए गए लोग" के संबंध में दिनांक 03.08.2022 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *183 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उसे सूचित किये गए अपराध संबंधी आंकड़ों को संकलित करता है तथा उन्हें अपने वार्षिक प्रकाशन 'क्राइम-इन-इंडिया' में प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2020 की है। प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018-2020 के दौरान विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किये गए व्यक्तियों और दोषसिद्ध व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या **अनुलग्नक–I** पर दी गयी है।

(ग): वर्ष 2018-2020 के दौरान, प्रत्येक राज्य में यूएपीए के अधीन गिरफ्तार किये गए लोगों की आयु-वार संख्या **अनुलग्नक-II** दी गयी है। यूएपीए के अधीन गिरफ्तार किये गए लोगों की संख्या के धर्म-वार आंकड़े एनसीआरबी द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

*****

राज्य सभा ता. प्र. सं. *183 दिनांक 03.08.2022

अनुलग्नक-I

वर्ष 2018-2020 के दौरान "विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम" के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों (पीएआर) और दोषसिद्ध व्यक्तियों (पीसीवी) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018		2019		2020	
		पीएआर	पीसीवी	पीएआर	पीसीवी	पीएआर	पीसीवी
1	आंध्र प्रदेश	8	0	5	0	4	0
2	अरुणाचल प्रदेश	10	0	40	0	3	0
3	असम	170	0	112	0	49	0
4	बिहार	59	0	35	0	39	0
5	छत्तीसगढ़	4	0	32	0	27	0
6	गोवा	0	0	0	0	0	0
7	गुजरात	0	0	1	0	0	0
8	हरियाणा	0	0	0	0	1	0
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
10	झारखंड	97	21	202	17	69	3
11	कर्नाटक	0	0	6	0	2	0
12	केरल	6	0	25	0	24	0
13	मध्य प्रदेश	13	0	4	0	0	0
14	महाराष्ट्र	0	0	0	0	7	0
15	मणिपुर	332	0	386	0	225	0
16	मेघालय	6	0	0	0	2	0
17	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
18	नागालैंड	10	1	18	0	7	0
19	ओडिशा	0	0	5	0	0	0
20	पंजाब	27	0	30	0	44	0
21	राजस्थान	0	0	0	0	0	0
22	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
23	तमिलनाडु	15	0	308	0	92	21
24	तेलंगाना	0	0	5	0	0	0
25	त्रिपुरा	0	0	0	0	2	0
26	उत्तर प्रदेश	479	12	498	17	361	54
27	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0
28	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	5	0
	कुल (राज्य)	**1236**	**34**	**1712**	**34**	**963**	**78**
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0
30	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
31	दादरा एवं नागर हवेली और दमण एवं दीव+	0	0	0	0	0	0
32	दिल्ली	8	1	9	0	12	0
33	जम्मू और कश्मीर*	177	0	227	0	346	2
34	लद्दाख	-	-	-	-	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
36	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	**185**	**1**	**236**	**0**	**358**	**2**
	कुल (अखिल भारत)	**1421**	**35**	**1948**	**34**	**1321**	**80**

स्रोत: क्राइम इन इंडिया
'+' वर्ष 2018-2019 के दौरान पूर्ववर्ती दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र और दमण एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र के संयुक्त आंकड़े
'*' वर्ष 2018-2019 के दौरान लद्दाख सहित पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर के आंकड़े

वर्ष 2018-2020 के दौरान यूएपीए के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और आयु-वार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति

2018						
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	18 वर्ष तक	18-30 वर्ष	30-45 वर्ष	45-60 वर्ष	60 वर्ष से ऊपर
		कुल	कुल	कुल	कुल	कुल
1	आंध्र प्रदेश	0	0	8	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0	6	3	1	0
3	असम	0	71	80	19	0
4	बिहार	0	19	40	0	0
5	छत्तीसगढ़	0	1	3	0	0
6	गोवा	0	0	0	0	0
7	गुजरात	0	0	0	0	0
8	हरियाणा	0	0	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
10	झारखंड	0	50	38	9	0
11	कर्नाटक	0	0	0	0	0
12	केरल	0	0	6	0	0
13	मध्य प्रदेश	0	9	4	0	0
14	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0
15	मणिपुर	2	167	120	43	0
16	मेघालय	0	0	6	0	0
17	मिजोरम	0	0	0	0	0
18	नागालैंड	0	1	7	1	1
19	ओडिशा	0	0	0	0	0
20	पंजाब	0	0	21	6	0
21	राजस्थान	0	0	0	0	0
22	सिक्किम	0	0	0	0	0
23	तमिलनाडु	0	0	11	4	0
24	तेलंगाना	0	0	0	0	0
25	त्रिपुरा	0	0	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	0	340	119	20	0
27	उत्तराखंड	0	0	0	0	0
28	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0
	कुल (राज्य)	**2**	**664**	**466**	**103**	**1**
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0
30	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
31	दादरा एवं नागर हवेली और दमण एवं दीव+	0	0	0	0	0
32	दिल्ली	0	0	5	3	0
33	जम्मू और कश्मीर*	0	89	74	14	0
34	लद्दाख	-	-	-	-	-
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
36	पुदुचेरी	0	0	0	0	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	**0**	**89**	**79**	**17**	**0**
	कुल (अखिल भारत)	**2**	**753**	**545**	**120**	**1**

स्रोत: क्राइम इन इंडिया
'+' वर्ष 2018के दौरान पूर्ववर्ती दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र और दमण एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र के संयुक्त आंकड़े
'*' वर्ष 2018 के दौरान लद्दाख सहित पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर के आंकड़े

वर्ष 2018-2020 के दौरान यूएपीए के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और आयु-वार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति

2019						
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	18 वर्ष तक	18-30 वर्ष	30-45 वर्ष	45-60 वर्ष	60 वर्ष से ऊपर
		कुल	कुल	कुल	कुल	कुल
1	आंध्र प्रदेश	0	5	0	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	1	13	24	2	0
3	असम	2	32	71	7	0
4	बिहार	0	20	13	2	0
5	छत्तीसगढ़	0	2	21	9	0
6	गोवा	0	0	0	0	0
7	गुजरात	0	0	1	0	0
8	हरियाणा	0	0	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
10	झारखंड	0	133	69	0	0
11	कर्नाटक	0	3	1	2	0
12	केरल	0	2	19	4	0
13	मध्य प्रदेश	1	3	0	0	0
14	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0
15	मणिपुर	0	217	156	13	0
16	मेघालय	0	0	0	0	0
17	मिजोरम	0	0	0	0	0
18	नागालैंड	0	10	5	0	3
19	ओडिशा	0	0	1	4	0
20	पंजाब	0	15	15	0	0
21	राजस्थान	0	0	0	0	0
22	सिक्किम	0	0	0	0	0
23	तमिलनाडु	2	134	126	46	0
24	तेलंगाना	0	2	2	1	0
25	त्रिपुरा	0	0	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	0	386	112	0	0
27	उत्तराखंड	0	0	0	0	0
28	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0
	कुल (राज्य)	**6**	**977**	**636**	**90**	**3**
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0
30	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
31	दादरा एवं नागर हवेली और दमण एवं दीव+	0	0	0	0	0
32	दिल्ली	0	2	6	1	0
33	जम्मू और कश्मीर*	0	111	93	21	2
34	लद्दाख	-	-	-	-	-
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
36	पुदुचेरी	0	0	0	0	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	**0**	**113**	**99**	**22**	**2**
	कुल (अखिल भारत)	**6**	**1090**	**735**	**112**	**5**

स्रोत: क्राइम इन इंडिया
'+' वर्ष 2019 के दौरान पूर्ववर्ती दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र और दमण एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र के संयुक्त आंकड़े
'*' वर्ष 2019 के दौरान लद्दाख सहित पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर के आंकड़े

वर्ष 2018-2020 के दौरान यूएपीए के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और आयु-वार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति

2020						
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	18 वर्ष तक	18-30 वर्ष	30-45 वर्ष	45-60 वर्ष	60 वर्ष से ऊपर
		कुल	कुल	कुल	कुल	कुल
1	आंध्र प्रदेश	0	0	2	2	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	3	0	0
3	असम	1	16	25	7	0
4	बिहार	0	30	9	0	0
5	छत्तीसगढ़	0	12	11	4	0
6	गोवा	0	0	0	0	0
7	गुजरात	0	0	0	0	0
8	हरियाणा	0	1	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
10	झारखंड	0	35	30	4	0
11	कर्नाटक	0	1	1	0	0
12	केरल	0	3	9	9	3
13	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0
14	महाराष्ट्र	0	0	5	2	0
15	मणिपुर	1	112	90	21	1
16	मेघालय	0	0	0	2	0
17	मिजोरम	0	0	0	0	0
18	नागालैंड	0	5	2	0	0
19	ओडिशा	0	0	0	0	0
20	पंजाब	1	21	21	1	0
21	राजस्थान	0	0	0	0	0
22	सिक्किम	0	0	0	0	0
23	तमिलनाडु	0	33	47	12	0
24	तेलंगाना	0	0	0	0	0
25	त्रिपुरा	0	0	2	0	0
26	उत्तर प्रदेश	0	205	156	0	0
27	उत्तराखंड	0	0	0	0	0
28	पश्चिम बंगाल	0	2	3	0	0
	कुल (राज्य)	**3**	**476**	**416**	**64**	**4**
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0
30	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
31	दादरा एवं नागर हवेली और दमण एवं दीव+	0	0	0	0	0
32	दिल्ली	0	5	7	0	0
33	जम्मू और कश्मीर*	2	164	147	33	0
34	लद्दाख	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
36	पुदुचेरी	0	0	0	0	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	**2**	**169**	**154**	**33**	**0**
	कुल (अखिल भारत)	**5**	**645**	**570**	**97**	**4**
स्रोत: क्राइम इन इंडिया						

*****

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, the reply given by the Minister is a clear indicator of the misuse and failure of this draconian law. Most of the arrested persons come under the age group of 18-30 years. I don't want to go into other details. But, I would like to ask you one question. We are celebrating the 75th Year of India's Independence. Would the hon. Minister like to repeal this draconian Act?

श्री नित्यानन्द राय : महोदय, जो उत्तर सभा पटल पर रखा गया है, उसमें माननीय सदस्य जो जानना चाहते थे, वह बहुत स्पष्ट है। दूसरा, इन्होंने पूछा है कि क्या आजादी के 75वें वर्ष में इसको रिपील किया जाएगा। पहले तो इस कानून को समझने की जरूरत है। यूएपीए अधिनियम, 1967 आतंकवाद की रोकथाम और उसका सफाया करने के लिए लाया गया था, जिसको समय-समय पर सशक्त बनाने की जरूरत पड़ी। जरूरत इसलिए पड़ी, क्योंकि आतंकवादियों के द्वारा की गई आतंकी घटनाओं में, चाहे वह देश की सीमा पर हो या देश के अन्दर हो, जब किसी प्रकार की असुरक्षा की भावना से काम किया जाता था, तो एक तो मानवाधिकारों का उल्लंघन होता था और साथ ही सामाजिक सुरक्षा और विकास बाधित होता था। इससे देश को बहुत नुकसान पहुँचा है। इसलिए इसका चार बार संशोधन किया गया। अभी यूएपीए के तहत जो कार्रवाई होती है, वह कार्रवाई उन घटनाओं के ऊपर होती है। उसके जो परिणाम आए हैं, उनके माध्यम से हम इनको बताना चाहेंगे कि यह क्यों जरूरी है और क्यों इसको रिपील करने की बात नहीं है। जब आतंकवादी घटनाएँ होती हैं, तो उनके समूल नाश के लिए...

श्री उपसभापति : माननीय मंत्री जी, मेरा आग्रह है कि आप कृपया ब्रीफली उत्तर दें।

श्री नित्यानन्द राय : सर, मैं इनको बताना चाहूँगा कि जब इस एक्ट में संशोधन हुआ और एनआईए एक्ट में भी संशोधन हुआ, तब इसको मजबूत किया गया, क्योंकि आतंकवादी अपनी कार्रवाइयों के स्वरूप को बदल देते थे और हमें उनको पकड़ने में कठिनाई होती थी। इसलिए आजादी का 75वाँ वर्ष सब लोग खुशी से मनाएँ, लेकिन आजादी के 75वें वर्ष को कोई आतंकवादी डिस्टर्ब नहीं करे, कोई घटना नहीं हो, जिस प्रकार से सीरियल बम ब्लास्ट के माध्यम से वर्ष 2006-2014 के बीच 38 बड़ी आंतकवादी घटनआं में 775 निर्दोष लोगों की जान गई, वहीं विगत तीन वर्षों में सिर्फ एक घटना , कोई घायल, न मौत।

श्री उपसभापति : प्लीज़, आप ब्रीफली आन्सर दें, मैं अब सेकंड क्वेश्चन लूँगा।

श्री नित्यानन्द राय : सर, नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बनते ही इस संबंध में सरकार की नीति ज़ीरो टॉलरेंस की रही है और कुछ नहीं दोहराया जा रहा है। बार-बार यही हो रहा है और यह तब तक होता रहेगा, जब तक इस देश से आतंकवाद का समूल नाश नहीं कर दिया जाता।

श्री उपसभापति : संदोष जी, सेकंड सप्लीमेंटरी।

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, as I told you, this is your reply prepared by your Ministry. So, kindly go through the same.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please ask your question.

SHRI SANDOSH KUMAR P: This has become a serious menace to Dalits and Minorities. I don't expect that your Government is going to repeal the Act. But, let me ask you one thing. Could you please define the term 'terrorism' in a clearer way? This is quite ambiguous and any act can be declared as 'terrorism' according to the existing law. So, please, make it clear, if at all you are not going to repeal it.

श्री नित्यानन्द राय : महोदय, इस प्रश्न का उत्तर बहुत स्पष्ट है। इन्होंने धर्म के अनुसार राज्यवार तीन वर्षों के मामलों के बारे में पूछा था। एनसीआरबी में राज्यों और केन्द्र शासित राज्यों द्वारा जो रिकॉर्ड दिया जाता है, उसमें धर्म का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है।

जहाँ तक आतंकवाद को परिभाषित करने की बात है, तो इसमें स्पष्ट रूप से इसको परिभाषित किया गया है कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए, देश की सामाजिक व्यवस्था के लिए, देश की सीमा के लिए, अगर देश को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुँचाने के लिए कोई गतिविधियाँ लागू करेगा या कोशिश करेगा, तो उन आतंकवादी गतिविधियों को यूएपीए के कानून के अंतर्गत तथा एनआईए एक्ट के माध्यम से, दोनों का समायोजन करके हम कार्रवाई करेंगे। इस कानून का उपयोग केन्द्र और राज्य, दोनों करते हैं। राज्य भी अपने हिसाब से इसका उपयोग करता है और केन्द्र भी अपने हिसाब से इसका उपयोग करता है। बिल्कुल आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ही यह कानून है।

श्री उपसभापति : डा. राधा मोहन दास अग्रवाल।

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल : महोदय, मैं इस संदर्भ में दो सवाल पूछना चाहूँगा। एक तो यह है कि इस कानून का जो कन्विक्शन रेट है, आँकड़े तो यही बताते हैं कि यह बहुत कम है। क्या माननीय मंत्री जी आपके माध्यम से यह बताएँगे कि इस कन्विक्शन रेट को और बेहतर करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है?

श्री उपसभापति : धन्यवाद।

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल : सर, मेरा एक और प्रश्न है।

श्री उपसभापति : आप एक ही प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री नित्यानन्द राय : मैं आंकड़ों के माध्यम से बहुत स्पष्ट रूप से यह बताना चाहता हूं कि कन्विक्शन रेट क्या है और हमारी क्या उपलब्धियां हैं। माननीय सदस्य ने लिखित प्रश्न के उत्तर को पढ़ लिया होगा, जिसमें यह पूछा गया है कि राज्यवार कितने लोग गिरफ्तार किए गए और उन लोगों की आयु-वार और धर्म-वार संख्या कितनी है। राज्य के द्वारा यूएपीए कानून के तहत की गई कार्रवाई में गिरफ्तारियां और कन्विक्शन हैं, लेकिन जिन केसिज़ में केन्द्रीय सरकार दखल देती है, उनका कन्विक्शन रेट मैं बताना चाहता हूं, वह 94.17 प्रतिशत है। कुछ मामलों पर तो यह 100 प्रतिशत है। जिहादी आतंक में न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि दर 100 प्रतिशत है। इसी तरह से अगर आप वामपंथी उग्रवाद को देखें, तो उसमें भी दोषसिद्धि दर 100 प्रतिशत है। नकली नोटों में ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : धन्यवाद, माननीय मंत्री जी।...(**व्यवधान**)... प्लीज़, माननीय मंत्री जी, धन्यवाद...(**व्यवधान**)... ।

श्री नित्यानन्द राय : मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि केन्द्र सरकार के द्वारा जिन केसेज़ को लिया जाता है, एफआईआर होती है, जिन मामलों को केन्द्र सरकार अपने अंतर्गत लेकर यूएपीए कानून के तहत ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : धन्यवाद, माननीय मंत्री जी।...(**व्यवधान**)... धन्यवाद, माननीय मंत्री जी।...(**व्यवधान**)...

श्री नित्यानन्द राय : वे जिस उत्तर को देख रहे हैं, वह राज्य के सम्बन्ध में है।...(**व्यवधान**)... राज्य उस कानून का उपयोग करते हैं और उनके कन्विक्शन रेट को लिखित उत्तर में इंगित किया गया है।...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : माननीय सदस्यगण, प्लीज़ ...(**व्यवधान**)... कृपया सवाल पूछने वाले माननीय सदस्य संक्षेप में प्रश्न पूछें और माननीय मंत्रीगण भी संक्षेप में उत्तर दें। सुश्री दोला सेन जी।

MS. DOLA SEN: Sir, the CID team investigating the Jharkhand MLA case has been restrained this morning by Delhi Police inspite of having an order of the honourable court. ...*(interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This question relates to UAPA. ...*(interruptions)*...

MS. DOLA SEN: Delhi Police is involved in unlawful activities. ...*(interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It relates to UAPA. No; it is not allowed. ...*(interruptions)*...

MS. DOLA SEN: I want a reply from the Minister, Sir. ...*(interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Not allowed. Jayant Chaudharyji. No; this question relates to UAPA. ...*(interruptions)*...

MS. DOLA SEN: We want a reply from the hon. Minister. ...*(interruptions)*...

श्री उपसभापति : दोला सेन जी, यह क्वेश्चन यूएपीए से जुड़ा हुआ है। ...(**व्यवधान**)... माननीय जयंत चौधरी जी। ...(**व्यवधान**)...

MS. DOLA SEN: We want a reply from the hon. Minister about the unlawful activities.

श्री उपसभापति : माननीय जयंत चौधरी जी। ...(**व्यवधान**)... माननीय जयंत चौधरी जी, आप सवाल पूछें, केवल आपका सवाल ही रिकॉर्ड पर जाएगा। ...(**व्यवधान**)...

MS. DOLA SEN: Sir, please allow. ...*(interruptions)*...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Unlawful activities by Delhi Police. ...*(interruptions)*...

सुश्री दोला सेन : सर, प्लीज़, हमें अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के बारे में जवाब चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: The Minister is not replying. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति : माननीय जयंत जी, आप सवाल पूछें। ...(**व्यवधान**)...

MS. DOLA SEN: Please tell the Minister, Sir. ...*(interruptions)*...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: They are defying the court order. ...*(interruptions)*...

श्री उपसभापति : माननीय जयंत चौधरी जी, आप क्वेश्चन पूछें। ...(**व्यवधान**)... और कोई भी बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है, आप क्वेश्चन पूछें। ...(**व्यवधान**)...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: *

MS. DOLA SEN: *

श्री उपसभापति : माननीय जयंत चौधरी जी, और कोई भी बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है, आप क्वेश्चन पूछिए। ...(**व्यवधान**)... क्या आप क्वेश्चन पूछेंगे?

श्री जयंत चौधरी : जी हां, सर, पूछूंगा।

श्री उपसभापति : आप क्वेश्चन पूछिए, केवल आपकी बात ही रिकॉर्ड पर जा रही है। ...(**व्यवधान**)... माननीय मंत्री जी आपके सवाल का जवाब देंगे।

श्री जयंत चौधरी : माननीय मंत्री जी ने राज्यवार सूची दी है कि यूएपीए कानून के तहत कितने लोगों पर आपने धारा लगाई और कितने लोगों को कन्विक्ट किया। मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश की तरफ दिलाना चाहता हूं। आपने उत्तर प्रदेश के 2018, 2019 और 2020 के जो आंकड़े दिए हैं, उनके अनुसार आपने यूएपीए के तहत 1,338 केस दर्ज किए थे, जिनमें से मात्र 83 को कन्विक्ट किया गया, यानी इनमें कन्विक्शन की दर सिर्फ 6 प्रतिशत है। ये आंकड़े यह साबित करते हैं कि कहीं न कहींजो एप्लिकेशन ऑफ लॉ है, वह गलत हो रहा है।

महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप उत्तर प्रदेश की पुलिस को सेंसेटाइज़ करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? चूंकि हमने हाथरस रेप पीड़ित प्रकरण में भी यह देखा है कि...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : धन्यवाद, जयंत जी माननीय मंत्री जी, आप जवाब दें।

श्री नित्यानन्द राय : महोदय, ये आंकड़े राज्यों के हैं। इन्होंने गिरफ्तारी और कन्विक्शन रेट की बात पूछी थी, तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि जितने मामले दर्ज हुए हैं, उन सभी पर फैसले आ चुके हैं। फैसले क्रमवार आते हैं, कुछ मामले अभी जांच के अंतर्गत होंगे, कुछ मामले न्यायालय में, ट्रायल में चल रहे होंगे, कुछ में दोषसिद्धि हुई होगी, जिस कानून के तहत राज्य एफआईआर दर्ज करते हैं। मेरा निवेदन है कि आप उन विषयों को पूछें, जो केन्द्र से संबंधित हैं। राज्यों में कई क्रमों में उन लोगों के केस चल रहे हैं। आप जो लिखित प्रश्न के उत्तर में दी हुई टेबल को देख रहें हैं, उसमें सिर्फ कन्विक्शन का रेट दिया गया है, लेकिन उनमें से कुछ मामले अभी ट्रायल में होंगे और कुछ पर जांच भी चल रही होगी।

श्री उपसभापति : माननीय मुकुल वासनिक जी, आप प्रश्न पूछें।

---

* Not recorded.

MS DOLA SEN: *

SHRI MUKUL BALKRISHNA WASNIK: Mr. Deputy Chairman, Sir, thank you for allowing me to raise a supplementary.

श्री उपसभापति : मुकुल वासनिक जी के अतिरिक्त कोई और बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है, यह क्वेश्चन ऑवर है। ...(**व्यवधान**)... Please do not disturb. ...*(interruptions)*...

SHRI MUKUL BALKRISHNA WASNIK: The conviction rate in the data provided by the hon. Minister in the reply tabled in the House is absolutely dismal. ...*(interruptions)*...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: *

(At this stage, some hon. Members left the Chamber.)

SHRI MUKUL BALKRISHNA WASNIK: In 2018, the persons convicted was 2.5 per cent. In 2019, the conviction rate was 1.75 per cent and in 2020 the conviction rate was 2.6 per cent. The hon. Minister is trying to differentiate between the State Governments and the Union Government. But when he is mentioning about the State Governments, does he recognize that the number of cases and the number of persons arrested in Uttar Pradesh where the BJP is in Government ...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. ...*(Interruptions)*..

SHRI MUKUL BALKRISHNA WASNIK: ... Jammu and Kashmir which is a Union Territory, why does not the hon. Minister reflect on that? ...*(Interruptions)*... The conviction rate is absolutely poor. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. Mukulji, thank you. ...*(Interruptions)*... The question has to be brief, Mukulji. ...*(Interruptions)*... You are a senior Member. The question has to be brief. ...*(Interruptions)*... No. Nothing is going on record. ...*(Interruptions)*...

---

* Not recorded.

श्री नित्यानन्द राय : महोदय, मैं पहले भी कह चुका हूं कि राज्य इस कानून का उपयोग करते हैं और केन्द्र भी करता है, इसमें लॉ एंड ऑर्डर का जो सब्जेक्ट होता है, वह स्टेट गवर्नमेंट का होता है। इसलिए जो एफआईआर स्टेट दर्ज करता है, उसका हिसाब-किताब स्टेट रखता है और जिन घटनाओं की वहां से रिपोर्ट आती है, एनसीआरबी सिर्फ उसका हिसाब रखती है। यह बात समझने की जरूरत है कि आतंकवादी घटनाओं की रोकथाम के लिए ही नहीं, बल्कि उनकी समूल समाप्ति हेतु यह अधिनियम है। राष्ट्रीय स्तर पर जब कोई राज्य दूसरे राज्य से ऐसी घटनाओं को जोड़ता है, जब स्टेट के द्वारा कोई अनुरोध होता है, तब हम ऐसे केसेज़ को लेते हैं। एनआईए उनमें इनवेस्टिगेट करती है और उनकी जांच करती है, उसके बारे में आप पूछ रहे हैं और मैं बार-बार उत्तर दे रहा हूं कि इसे स्पष्ट रूप से समझना पड़ेगा कि यह स्टेट का सब्जेक्ट है, आपने सिर्फ उसकी सूचना दी है और हम उसका उत्तर दे रहे हैं, जिन केसेज़ को केन्द्र टेक अप करता है।

श्री उपसभापति : धन्यवाद, माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्यगण प्लीज़, क्वेश्चन पूछने की एक प्रक्रिया है, अभी तीन क्वेश्चंस में ही चालीस मिनट चले गये हैं। बाकी मेम्बर्स, जिनके क्वेश्चंस हैं, वे आते हैं और चेयर से कहते हैं कि हमारा क्वेश्चन नहीं आया। इसलिए हमारा दोनों से आग्रह है कि कृपया सवाल स्पेसिफिक पूछिये, अन्यथा बाध्य होकर आगे से चेयर को देखना पड़ेगा और माननीय मंत्री जी भी ब्रीफली जवाब दें। क्वेश्चन नम्बर 184, माननीय सदस्य, श्री सुभाष चंन्द्र बोस पिल्ली।